

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छत्तीस'

[15/3/2016]


प्रश्न सं. [क. 643]

परिशिष्ट-अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 643 के प्रश्नांश (ख) से संबंधित जानकारी

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	अवैध कटाई/अतिक्रमण की शिकायतों का विवरण	रिमार्क
1	2015	इंदौर	वन विभाग के अधिकारियों एवं गांधीनगर संस्था के पदाधिकारियों की मिली भगत से वन विभाग की जमीन छोड़ने बाबत।	
2	2016	चोरल	सामान्य रूप से प्राप्त-वनमंडल, इंदौर (सामान्य) की रेंज चोरल में वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिली भगत से अवैध सागवान, ईमारती लकड़ियों का व अवैध रेत उत्खनन का 4 व्हीलर वाहनोसे परिवहन एवं रेंज में भारी पैमाने पर हरे भरे जंगलो को कटवाकर अतिक्रमण लगभग 150 हे० जंगल में करवाने बाबत।	
3	2016	मानपुर	मानपुर रेंज के उकाला अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच करवाये जाने बाबत।	
4	2016	मानपुर	परिक्षेत्र मानपुर के अन्तर्गत अवैध कटाई के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थलों की जांच बाबत।	
5	2016	महू	शिवराम आर्य सेवा निवृत्त शिक्षक निवास बडगोदा द्वारा 25-30 करोड रुपये मूल्य की करीब 60 बीघा शासकीय वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाने तथा अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने बाबत।	


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग, भोपाल-2


(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 643 के प्रश्नांश (ग) से संबंधित जानकारी

अ.क्र.	प्राप्ति विवरण	अवैध कटाई/अतिक्रमण की शिकायत संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	वृत्त कार्यालय इंदौर के पत्र क्र. 1688 दि. 23.4.15 से प्राप्त	वन विभाग के अधिकारियों एवं गाधीनगर संस्था के पदाधिकारियों की मिली भगत से वन विभाग की जमीन छोड़ने बाबत।	उपरोक्त शिकायत वन एवं राजस्व सीमा से संबंधित होकर शिकायत जाँच कार्यवाही की जा रही है। संबंधित प्रकरण संस्था द्वारा माननीय न्यायालय में लगाया गया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है।
2.	वृत्त कार्यालय इंदौर के पत्र क्र. 563 दि. 23.1.16 से प्राप्त	सामान्य रूप से प्राप्त- वन मंडल, इंदौर (सामान्य) की रेंज चोरल में वन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिली भगत से अवैध सागवान, ईमारती लकड़ियों का व अवैध रेत उत्खनन का 4 व्हीलर वाहनोसे परिवहन एवं रेंज में भारी पैमाने पर हरे भरे जंगलो को कटवाकर अतिक्रमण लगभग 150 हे० जंगल में करवाने बाबत।	वन मंडल कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्र. 776 दिनांक 27.1.2016 से उप वन मंडलाधिकारी, इंदौर को जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3.	वृत्त कार्यालय इंदौर के पत्र क्र. 900 दि. 8. 2.16 से प्राप्त	मानपुर रेंज के उकाला अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच करवाये जाने बाबत।	वन मंडल कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्र. 1626 दि. 8.2.2016 से उप वन मंडलाधिकारी महुँ को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
4.	वृत्त कार्यालय इंदौर के पत्र क्र. 1224 दि. 23.2.16 से प्राप्त	परिक्षेत्र मानपुर के अन्तर्गत अवैध कटाई के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थलों की जांच बाबत।	(1) मुख्य वन संरक्षक, इंदौर वृत्त, इंदौर द्वारा उनके पत्र 1224 दि. 23.2.16 से इस कार्यालय को निर्देश प्रदान किये जाने के साथ वृत्त स्तरीय उडनदरता दल इंदौर के प्रभारी एवं दल तथा वन मंडल इंदौर के 3. टाईगर स्ट्राईक फोर्स के 2 कर्मचारियों की ड्युटी जांच हेतु लगाई गई है। वन मंडल कार्यालय से संलग्नाधिकारी वन मंडल, इंदौर को सीधे उक्त जांच दल के साथ प्रभारी के रूप में ड्युटी लगाई गई है। (2) पूर्व में स्वप्रेरणा से अखबार प्रकाशन पर जाँच की गई। उप वनमण्डलाधिकारी, महुँ को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1803 दिनांक 16/02/2016 से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जाँच में उप वनमण्डलाधिकारी, महुँ ने कक्ष क्रमांक 17 कनेरिया दक्षिण बीट में केवल 02 टूट पाये। कोई गंभीर नुकसानी/घटना नहीं पाई गई। इस पर उप वनमण्डलाधिकारी, महुँ को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
5.	वृत्त कार्यालय इंदौर के पत्र क्र. 1222 दि. 23.2.16 से प्राप्त	शिवराम आर्य सेवा निवृत्त शिक्षक निवास बडगौदा द्वारा 25-30 करोड रुपये मूल्य की करीब 60 बीघा शासकीय वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाने तथा अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने बाबत।	मुख्य वन संरक्षक, इंदौर वृत्त, इंदौर द्वारा उनके आदेश क्र. 77 दि० 23.2. 2016 से 4 सदस्यी जांच समिति का गठन किया जाकर विस्तृत जांच के निर्देश दिये गये हैं। जांच समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

03/3/16
(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म.प्र., भोपाल